कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात।

email ID- kanpurdehat.dlsa@gmail.com **Tel:- 05111 299253**

प्रेस - विज्ञप्ति

मध्यस्थता केन्द्र - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात में मध्यस्थ अधिवक्ताओं की भर्ती हेतु

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांकः- 19/Mediation/District Court/ Allahabad/2025 dated 07.07.2025 संदर्भ में 'Mediation for the Nation' Campaign(90 days' Mediation Drive to settle pending cases in all the Taluka Courts, District Courts and High Court) के अनुपालन में आयोजित वीडियो कॉफ्रेंस एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक 2389/SLSA-83/2025(Sandeep/Ri) दिनांकितः- 30.07.2025 में दिये गये दिशा- निर्देशों के आलोक में नियुक्ति की जानी है-

क्र०सं०	पदनाम	पद संख्या	अर्हता
01	मध्यस्थ अधिवक्ता	24	उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग- 2 (अधीनस्थ न्यायालय) संख्या- 10/2021/195/ सात- न्याय-2-2021-31 जी/ 2008 लखनऊः दिनांक 23 मार्च, 2021 अधिसूचना, उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के अनुरूप

उपरोक्त वर्णित पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने हेतु इच्छुक आवेदकगण, **उत्तर प्रदेश शासन, न्याय अनुभाग- 2 (अधीनस्थ न्यायालय) संख्या- 10/2021/195/ सात- न्याय-2-2021-31 जी/ 2008 लखनऊः दिनांक 23 मार्च, 2021 अधिसूचना, उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021** के अनुरूप अर्हता प्राप्त व्यक्ति अपना आवेदन नाम व वैयक्तिक विवरण के साथ दिनांक- 05.08.2025 को सायं 05:00 बजे तक संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रपत्रों के साथ कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, कानपुर देहात में स्वयं जमा कर सकते हैं या रजिस्टर्ड डाक से भी उक्त तिथि तक प्राप्त करा सकते हैं, अन्तिम तिथि में कार्यालय समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन- पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत/ अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र के प्रारूप एवं नियमावली के लिये जनपद न्यायालय की बेवसाइट https://kanpurdehat.dcourts.gov.in माननीय उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की बेवसाइट www.upslsa.up.nic.in एवं माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की बेवसाइट www.nalsa.gov.in पर सम्पर्क कर सकते है।

नोटः- उक्त पदों पर भर्ती, मध्यस्थता नियमावली 2021 के अनुरूप रहेंगी।

30.7.25

दिनांकः- 30.07.2025
संलग्नकः- आवेदन का प्रारूप

जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कानपुर देहात

प्रतिलिपिः-

1- श्रीमान सदस्य सचिव, उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशा- निर्देश हेतु प्रेषित।
2- श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय कानपुर देहात को बेवसाइट में अपलोड हेतु सादर प्रेषित।
3- पीठासीन अधिकारी, बाह्य न्यायालय, सिविल जज जू०डि० घाटमपुर, कानपुर नगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।
4- पीठासीन अधिकारी,बाह्य न्यायालय, सिविल जज जू०डि० भोगनीपुर, कानपुर देहात के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।
5- पीठासीन अधिकारी, ग्राम न्यायालय, सिविल जज जू०डि० बिल्हौर, कानपुर नगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।
6- जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
7- अध्यक्ष/महामन्त्री, जिला बार एसोसियेशन, कानपुर देहात को सूचनार्थ प्रेषित।
8- अध्यक्ष/महामन्त्री, एकीकृत बार एसोसियेशन, कानपुर देहात को सूचनार्थ प्रेषित।
9- अध्यक्ष/महामन्त्री, जिला बार एसोसियेशन, माती मुख्यालय, कानपुर देहात को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुसूची--एक

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
 (क) कार्यालय:
 (ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
 (क) कार्यालय:
 (ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
 (क) कार्यालय:
 (ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
 (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ । यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा । मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ । मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।